राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप पर जनपरामर्श

स्थान : प्रशासन अकादमी, भोपाल

दिनांक : 27 फरवरी, 2011

मध्यांचल फोरम के द्वारा बीज स्वराज अभियान के सहयोग से आयोजित

प्रतिभागीगण :

अध्यक्षता : श्री जेएस कौशल, पूर्व निदेशक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन!

विशेष अतिथि : श्री मनोहर लाल यादव, मध्यांचल फोरम!

अतिथि वक्ता :

- श्री विराज पटनायक, खाद्य सुरक्षा मामलों में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख सलाहकार।
- श्री सचिन जैन, भोजन का अधिकार अभियान और विकास संवाद।
- सुश्री माधुरी बहन, भोजन का अधिकार अभियान।

विशेष आमंत्रित : श्री नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान।

स्वागत भाषण : श्री रमेश चौधरी, मध्यांचल फोरम भोपाल।

विषय प्रवेश : श्री नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान।

जन परामर्श के प्रमुख साथी

1. श्री नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान। 2. श्री बिराज पटनायक। 3. सुश्री माधुरी बेन । 4.श्री जयन्त वर्मा 5.सुश्री कविता कुरूगंटी । 6.श्री सचिन जैन 7.श्री विजय भाई 8.श्री रमेश चौधरी । 9.श्री अरूण त्यागी। 10.श्री उमेश वशिष्ठ 11.श्री अन्नत जौहरी। 12.श्री लक्ष्मण भाई आदि सहित लगभग 65 लोगों ने जनपरामर्श में भागीदारी की।

यह करोड़ों लोगों के हित से जुड़ा है : रमेश चौधरी

– स्वागत भाषण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून सभी लोगों को सम्मान और गरिमा के साथ खाद्य सुरक्षा और कुपोषण से दूर करने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। इस कानून की विसंगतियों को दूर करने में हम जुटे हैं। आज के जनपरामर्श का नतीजा निश्चित रूप से इन विसंगतियों को दूर करने में मददगार होगा। खाद्य सुरक्षा का मुद्दा किसानों, लोगों और देश के करोड़ों लोगों के हितों से जुड़ा है। सरकार औद्योगिक विकास के नाम पर कंपनियों को फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों की जमीन दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को अतिक्रमण के नाम पर जेल भेजा जा रहा है। खेती, आज, पानी और बीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, हम यही चाहते हैं।

खाद्य सुरक्षा सरकार की मंशा नहीं : नीलेश देसाई

– विषय प्रवेश

खाद्य सुरक्षा हमेशा से हमारा केंद्र बिंदु रहा है। लेकिन इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रस्तावित विधेयक का जो प्रारूप तैयार किया है, उसमें काफी विसंगतियों हैं। हमें इस विधेयक के ढांचे को देखकर गहरी निराशा हुई है। विधेयक में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री के पर्याप्त वितरण की मांग पूरी नहीं हुई है। प्रारूप में रंगराजन कमेटी की सिफारिशों में इस अहम मसले को यह कहकर टाल दिया गया कि विधेयक पर अमल के लिए हमारे पास साधनों का अभाव है। एक तो इसे लागू करने में एक लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा और साथ ही देश का कृषि उत्पादन भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है।

इससे साफ है कि जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के प्रति सरकार की मंशा नहीं है और न ही उसमें इसकी इच्छाशक्ति है। खाद्य सुरक्षा को अमल में लाने के लिए खर्च का आकलन जनसंगठनों ने

किया है। इसे देखते हुए यह खाद्य पदार्थों के वितरण का मामला नहीं, बल्कि व्यवस्था का सवाल ज्यादा लगता है। अभी तक खाद्य सुरक्षा से जुड़े जितने भी विधेयक आए हैं, उन सभी में भोजन के अधिकार को असुरक्षित करने की कोशिश की गई है। इसे रोकने के लिए हमें समग्र रूप से बैठकर आगे की रणनीति बनानी होगी। ऐसे खंडित विधेयकों के चलते हमारे प्रयास एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि कैसे हम इस पूरी प्रक्रिया को समझें और इसके लिए रणनीति बनाएं। साथ ही हमें राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर उन्हें अपने साथ जोड़ना होगा। मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसुमरिया ने केंद्र सरकार को प्रस्तावित बीज विधेयक का विरोध करते हुए पत्र लिखा था। इस मामले में भी राज्य सरकारों के समर्थन से हमें बल मिलेगा।

यह है देश के विकास की हकीकत

अतिथि वक्ता – विराज पटनायक

- **हर आधे घंटे में देश में दो किसान आत्महत्या कर रहे हैं।**
- **कुपोषण से रोजाना 5000 बच्चों की जान जाने का खतरा है।**
- **1996 से लेकर अब तक दो लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं।**
- **करीब 80 लाख किसान खेती छोड़ चुके हैं।**
- **इस साल सामने आए तथाकथित विकास के नए आंकड़े और भी भयावह हैं।**
- **एनएसएसओ सर्वेक्षण में किसानों से पूछा गया था कि वे कृषि के रूप में अपनी आजीविका से कितने खुश हैं? इस पर 41 प्रतिशत किसानों का जवाब था कि वे कृषि को छोड़ना चाहते हैं।**

देश के विकास की हकीकत बयां करते ये आंकड़े जनसंगठनों के नहीं, बल्कि सरकारी हैं। इनसे देश की बड़ी आबादी के सामने छाए रोजी–रोटी के संकट की परछाई साफ झलकती है।

स्लाइड शो के जरिए हम इसे यूं भी समझ सकते हैं–

1. देश की अर्थव्यवस्था में 1992 के बाद तेजी से सुधार हुआ। भारत पिछले आठ साल में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे तेज विकासकर्ता देश बन चुका है। इस दौरान देश की आबादी भी तेजी से बढ़ी और किसानों ने भी इससे कदम मिलाते हुए खाद्यान्न उत्पादन की रफ्तार बनाए रखी। इस समय देश की 60 फीसदी आबादी किसानी पर निर्भर है। लेकिन अर्थव्यवस्था में आई तेजी के हिसाब से किसानों की दशा नहीं बदल रही है।

2. देश के आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा फायदा किस तबके को हो रहा है, इसकी झलक इस तथ्य से मिल जाती है कि दुनिया के 10 सबसे अमीरों में से चार भारत या भारतीय मूल के हैं।

3. देश में 52 खरबपति हैं। इन सभी का धन मिला दें तो आर्थिक मंदी के बाद सकल घरेलू उत्पाद का एक–चौथाई धन इनके पास मौजूद है।

4. पिछली दीवाली के बाद शेयर बाजार में आए उछाल के बाद एक माह के भीतर निवेशकों का धन 3.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है।

निश्चित तौर पर ये आंकड़े देश की आर्थिक असमानता को दर्शाते हैं।

5. वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान सबसे नीचे के 88 देशों में 65वां है। चीन हमसे 52 अंक आगे है। सहारा अफ्रीका के बाद भारत की स्थिति सबसे दयनीय है।

6. बाल कुपोषण के बारे में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 46 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं। माओं को अब अपने बच्चों को यह सिखाना पड़ रहा है कि वे भूख से निपटकर कैसे जिएं।

7. 1999 में बाल कुपोषण का आंकड़ा 47 प्रतिशत पर था, जो सात साल बाद यानी 2006 में सिर्फ एक फीसदी घटकर 46 प्रतिशत पर आ सका है।

8. मध्यप्रदेश की बात करें तो राज्य में 60 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं। 1996 में यह आंकड़ा 54 प्रतिशत था। इस तरह से राज्य में कुपोषण में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बाल कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और 1800 कैलोरी उर्जा वाले भोजन की उपलब्धता के मामले में मध्यप्रदेश को दुनिया के 8 प्रतिशत बेहद गरीब देशों में शामिल किया जा सकता है।

9. कृषि की बात करें तो देश में इसकी विकास दर सिर्फ एक फीसदी है। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 4.4 फीसदी विकास दर की उम्मीद जताई गई है।

10. सरकार के बजट में कृषि की हिस्सेदारी सिर्फ 1.27 प्रतिशत है। 22 साल पहले पूरे बजट में कृषि का हिस्सा 14 फीसदी हुआ करता था।

11. सरकार ने अपने पिछले बजट में देश के छह राज्यों को कृषि विकास के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इस लिहाज से प्रत्येक गांव में कृषि विकास के लिए सिर्फ 50 हजार रु. ही दिए गए, जो कि नाकाफी हैं।

12. वर्ष 2004–05 के बजट में किसानों को ऋण माफी के रूप में 60 हजार करोड़ रु. का पैकेज दिया गया। पिछले बजट में भी निजी क्षेत्र को 4.5 लाख करोड़ रु. की ऋण माफी दी गई थी। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर 80 हजार करोड़ रु. माफ कर दिए। वहीं दूसरी ओर, जब सरकार ने मनरेगा के लिए 45 हजार करोड़ रु. का ऐलान किया तो हड़कंप मच गया और कहा गया कि सरकार वोट बटोरने के लिए सिर्फ गरीबों के हित की बात सोचती है। यह देश में गरीबों की दशा सुधारने की कोशिश में राजनीति तलाशने वाली हमारी संकीर्ण सोच की बानगी है।

13. 1990 से अब तक प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन नहीं बढ़ सका है। आम आदमी को मिलने वाला भोजन लगातार गिर रहा है।

14. नियमानुसार, सरकार को 2.5 करोड़ मीट्रिक टन का बफर स्टॉक रखना चाहिए। लेकिन 2002 से 2009–10 के बीच सरकार ने 6.5 करोड़ मीट्रिक टन अनाज का भंडारण किया है। गोदामों में इस समय इतना अनाज पड़ा है कि एक के उपर एक बोरी रखे दें तो चांद तक पहुंचा जा सकता है।

15. 2002 से 2004 के बीच सरकार ने तीन करोड़ मीट्रिक टन अनाज का निर्यात किया। तब दुनियाभर में अनाज की कीमतें कम थीं। विडंबना देखिए कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल परिवारों को 5.50 रु. प्रतिकिलो की दर पर अनाज बांट रही थी, जबकि निर्यात किए गए अनाज की दर प्रति किलोग्राम 4.5 रु. थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि यह अनाज अमेरिका, मेक्सिको आदि देशों को सुअरों को खिलाने के लिए निर्यात किया गया। इस खेल में करीब 8000 करोड़ रु. का घपला हुआ।

सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी को कानूनी जामा पहनाए

खाद्य सुरक्षा के प्रति सरकार की इन नीतिगत विसंगतियों को देखते हुए हम अपेक्षा करते हैं कि वह अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को कानून की शक्ल में लोगों के बीच रखेगी। लेकिन व्यवस्थागत खामियों को देखते हुए यह आसान नहीं लगता।

1. प्रतिमाह 3000 रु. से कम खर्च करने वाले परिवारों को सुप्रीम कोर्ट ने गरीब नहीं माना है।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सर्वव्यापीकरण की मांग को भी सरकार ने ठुकरा दिया। सरकार ने कहा है कि वह 46 प्रतिशत ग्रामीण और 28 फीसदी आबादी को प्रतिमाह 35 किलो अनाज देगी। बाकी के 44 प्रतिशत ग्रामीण और 22 फीसदी शहरी आबादी को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर अनाज मुहैया कराने की बात कही गई है।
3. खाद्य सुरक्षा विधेयक में बच्चों के लिए योजनाएं जोड़ने की बात भी नकार दी गई।
4. इसी तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को अनाज बेचने की कानूनी गारंटी देने की बात को भी नहीं माना।
5. राष्ट्रीय सलाहकार समिति के प्रारूप में इरादे को लेकर दिए गए बयान को जानबूझकर जटिल भाषा में बदला गया। अब भी सात मार्च तक का समय है। इस अवधि के भीतर विधेयक को लेकर लोग अपनी टिप्पणियां भेज सकते हैं।
6. किसान संगठनों को मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सलाहकार समिति के प्रारूप पर अपने सुझाव पेश करने चाहिए। इस मसले पर जनाक्रोश जरूरी है। पिछले साल नवंबर में किसान संगठनों के प्रतिनिधि अपना गुस्सा व्यक्त करने दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन सभी के लिए दिल्ली आ पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में जो जहां पर है, वहीं उसे विरोध दर्ज कराना चाहिए। हमें अपने क्षेत्र व जिले के जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज पहुंचानी होगी।

पीडीएस का दायरा बढ़ाया जाए

अतिथि वक्ता – माधुरी बहन

खाद्य सुरक्षा विधेयक को लेकर रंगराजन कमेटी और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों से यह साफ झलक रहा है कि यह प्रस्तावित बिल किसानों के मुंह पर एक तमाचा है। असल में इस बिल का देश की खाद्य सुरक्षा से कोई लेना–देना नहीं है। केंद्र सरकार किसानों के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रही है। मध्यप्रदेश में ढाई लाख हेक्टेयर जमीन किसानों से छीनकर उद्योगों को दी गई है। खेतों में सिंचाई का पानी भी किसानों से छीना जा रहा है। बाकी राज्यों में भी पुलिस किसानों को बेदखल कर उद्योगों को जमीन दे रही है। हरित क्रांति की शुरुआत से ही कृषि का औद्योगिकीकरण प्रारंभ हो चुका था। इसका सबसे ज्यादा फायदा खाद, बीज और दवा बनाने वाली कंपनियों को हुआ। अब दूसरी हरित क्रांति के नाम पर जीनान्तरित तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह खेती को किसानों से पूरी तरह से छीनने की सोची–समझी साजिश है।

- **अनाज का निर्यात न हो**

देश को इस समय ग्रामीण किसानों के अनुकूल कृषि व्यवस्था चाहिए। लेकिन सरकार इसे लागू करने की बजाय विदेशों में अनाज निर्यात कर रही है, जबकि लाखों लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। हमारी मांग है कि जब तक देश में कुपोषण की स्थिति बरकरार है, तब तक अनाज का निर्यात न हो।

- **कंपनियों का बाजार पर नियंत्रण खत्म हो**

मध्यप्रदेश का शरबती गेहूं केक–बिस्कुट बनाने के काम आ रहा है। घरेलू बाजार पर करीब एक दर्जन विदेशी कंपनियों का नियंत्रण है। ये कंपनियां किसानों को बीज के बदले खाद्यान्न देने की साजिश रच रही हैं। इन कंपनियों ने दुनिया के कई देशों में कृषि को तबाह किया है। अपने फायदे के लिए ये बाजार में अनाज की कीमतों को मनमाने ढंग से घटाती–बढ़ाती रहती हैं।

- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ सबको मिले**

गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सिर्फ एक हितग्राही मूलक योजना नहीं, बल्कि गरीबी और कुपोषण से लड़ने का एक आर्थिक औजार भी है। इस योजना से किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलता है, जबकि गरीबों को सस्ता अनाज भी उपलब्ध होता है। इसके अलावा यह अनाज की कीमतों पर नियंत्रण भी सुनिश्चित करता है। अगर पीडीएस से मिलने वाले अनाज की मात्रा कम की गई तो इसका सीधा फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होगा। ऐसे में पीडीएस में आवंटन को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे किसान और उपभोक्ता दोनों के हाथ में भोजन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। महंगाई के इस दौर में जब सरकार कीमतों पर काबू नहीं कर पा रही हो तो पीडीएस का लाभ गरीबी की रेखा से उपर और नीचे के तबके को ही नहीं, बल्कि सभी को मिलना चाहिए।

- **टैक्स क्यों माफ किया?**

लेकिन सरकार कह रही है कि उसके पास सभी को भोजन का अधिकार सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। दूसरी तरफ सरकार ने पिछले साल कंपनियों का 5.2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ किया। आखिर क्यों? इस पर भी सरकार कह रही है कि कानून पर अमल करने लायक कृषि उत्पादन नहीं हो पा रहा है। उधर सरकार कृषि उपज मंडियों से 20 प्रतिशत गेहूं–चावल ही खरीद रही है।

- **पीडीएस से पारंपरिक फसलों को भी जोड़ें**

पश्चिमी मध्यप्रदेश में ज्वार–बाजरा का भरपूर उत्पादन होता है। दोनों फसलों को अंचल में मां का दर्जा दिया जाता है। ये पौष्टिक अनाज हैं। देश में प्रति एकड़ गेहूं–चावल का उत्पादन जहां घट रहा है, वहीं ज्वार–बाजरे का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार को चाहिए किवह मंडियों से इन पारंपरिक अनाज को खरीदकर उन्हें पीडीएस के जरिए जरूरतमंदों में बांटे। इससे किसानों को इन पारंपरिक अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और इनके उत्पादन को बढ़ावा भी मिल सकेगा।

- **हर जिले/ब्लॉक में गोदाम बने**

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक, कुपोषण से बचने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 14 किलोग्राम अनाज जरूरी है। साथ ही डेढ़ किलो दाल और 150 ग्राम तेल भी चाहिए। बच्चों के लिए प्रतिमाह सात किलोग्राम अनाज की आवश्यकता बताई गई है। सरकार को देश के हर जिले/ ब्लॉक में गोदाम बनाना चाहिए। सरकार वहां से अनाज खरीदकर पीडीएस के जरिए लोगों में बांटे। अगर देश के किसी हिस्से में अनाज का उत्पादन कम हो तो पड़ोसी जिले/प्रदेश से अनाज मंगाया जा सकता है। देश में अनाज न हो तो ही विदेशों से उसका आयात किया जाना चाहिए।

- **खाद्य सुरक्षा विधेयक ऐसा हो**

1. यह किसान और उपभोक्ता दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए।
2. हर व्यक्ति को 14 किलो अनाज का अधिकार मिले।
3. देश के कृषि संबंधी मामलों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दखल बंद हो।
4. पीडीएस प्रणाली का लाभ सभी को मिले और इसमें पौष्टिक परंपरागत अनाज को भी शामिल किया जाए।

खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण की असुरक्षा न हो

अतिथि वक्ता – सचिन जैन

खाद्य सुरक्षा विधेयक में पोषण की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा की बात बेमानी हो जाती है। कुपोषण के व्यापक मायने हैं। खासतौर पर बच्चों में कुपोषण के होने का अर्थ एक पूरी पीढ़ी का शारीरिक–मानसिक रूप से कमजोर और विकास से महरूम हो जाना है। मध्यप्रदेश में ऐसे 66 लाख बच्चे कुपोषित हैं। ये बच्चे स्कूल में कुछ सीख–समझ भी नहीं पाएंगे। कुपोषण के शिकार लोग शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण श्रम भी नहीं कर सकेंगे। नरेगा में कुपोषित, कमजोर लोगों को काम के मौके कम मिलते हैं, क्योंकि वे काम के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। आज हमारे समाज का जो वर्ग कुपोषण के खिलाफ लड़ रहा है, उसने कुपोषण का कभी सामना नहीं किया। अगर यह वर्ग अपनी लड़ाई हार जाए तो आने वाला वर्ग या यूं कहें कि अगली पीढ़ी उस लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकेगी, क्योंकि वह शारीरिक–मानसिक रूप से पिछली

पीढ़ी के मुकाबले कहीं कमजोर होगी। सरकार खुद भी यही चाहती है। ऐसे में यह संकट जल, जंबल, जमीन और कृषि उत्पादन का नहीं, बल्कि एक सोची–समझाी नीति के तहत खड़ा किया गया है।

खाद्य सुरक्षा और कुपोषण को जोड़कर यूं देखें :

- सिर्फ गेहूं–चावल का उत्पादन बढ़ाकर कुपोषण से निपटना मुमकिन नहीं है।
- कुपोषण का स्तर अब 60 प्रतिशत तक जा पहुंचा है। 58 फीसदी महिलाओं में खून की कमी है।
- दो साल पहले हुए आम चुनाव में कांग्रेस नीत यूपीए ने वादा किया था कि वह सत्ता में आने के बाद देश की 37 फीसदी गरीब आबादी को प्रतिमाह 25 किलो अनाज तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराएगी। लेकिन इतने अनाज से जरूरी उर्जा के स्तर को हासिल नहीं किया जा सकता।

- सरकार ने पोषण बढ़ाने के अपने अभियान में सिर्फ गेहूं और चावल पर ही ध्यान केंद्रित किया, जबकि उसे स्थानीय अनाज को भी प्रोत्साहित करना चाहिए था।
- गेहूं–चावल से 40 प्रतिशत पोषण की जरूरत पूरी होती है। बाकी का 60 फीसदी सब्जियों, दूध, दलहन आदि से पूरा होता है। इसलिए हमें पोषण को व्यापक नजरिए से देखना होगा। जंगलों में मिलने वाले खाद्यान्नों, जैसे कोदो–कुटकी, कंद–मूल आदि को भी पोषक आहार में जोड़ना होगा।
- सरकार पोषण की कमी को विटामिन के सप्लीमेंट्स से पूरा करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक गलत सोच है।
- सरकार देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हदबंदी कर रही है। आटे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाए जा रहे हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं में शारीरिक विसंगतियां पैदा हो रही हैं।
- देश के आठ बड़े राज्यों में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित कर रहा नांदी फाउंडेशन असल में दवा बनाने वाली विख्यात कंपनी डॉ. रेड्डी लैब्स की एक सहायक संस्था है। 2012 तक इस संस्था की योजना मध्यान्ह भोजन की हदबंदी करने की है। इसके तहत भोजन में वे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और अन्य विटामिन सप्लीमेंट्स मिलाए जाएंगे, जिन्हें डॉ. रेड्डी लैब्स तैयार करेगी।
- खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप में सिर्फ अनाज की बात हो रही है, तेल–सब्जियों और दाल की नहीं।

तो समधान क्या है?

1. पीडीएस के तहत गेहूं–चावल के साथ पांच किलोग्राम बाजरा भी मिले। खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अमल की शुरुआत में उपलब्ध कराए जाने वाले अनाज का आधा हिस्सा बाजरे से पूरा किया जाए।
2. आंगनवाड़ी/ मध्यान्ह भोजन योजना के दायरे में आने वाले 30 करोड़ बच्चों के लिए भी हफ्ते में दो दिन पारंपरिक अनाज से बना पोषक आहार दिया जाए।
3. दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन से अनाज का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। इसे देखते हुए भी इस तरह के पारंपरिक अनाज को सुरक्षित करने की जरूरत है। ऐसे मोटे अनाज में गेहूं–चावल के मुकाबले कहीं ज्यादा पोषण तत्व होते हैं।
4. बाजार में दाल की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित हों। फिलहाल दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 से 35 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित है। लेकिन दालें इससे दोगुनी कीमत पर बिक रही हैं। सरकार को यह जांच करनी चाहिए कि बाकी का पैसा कहां और किसकी जेब में जा रहा है।
5. इसी तरह पौष्टिक अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी खाद्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में ही निर्धारित करना चाहिए।
6. खुले बाजार में मोटे अनाज की उपलब्धता बढ़ी है। इससे अब नूडल्स जैसी चीजें भी बनने लगी हैं। लेकिन सरकार को इनकी कीमतों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

खुला सत्र

इस खुले सत्र में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य उपस्थित जनों ने अपने सवाल/ राय को सामने रखा।

1. उमेश वशिष्ट (मानवाधिकार फोरम) : मध्यप्रदेश सरकार ने एक निजी कंपनी की भागीदारी से आटे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाकर बेचने की शुरुआत की है। मध्यप्रदेश के श्योपुर में इसके लिए एक फैक्ट्री लगाई गई है, जहां इस तरह से आटे का निर्माण होता है। क्या सरकार अब दवाओं से कुपोषण दूर करेगी?

2. ध्रुव भाई (सतना व सीधी से) : बीज विधेयक के खिलाफ सभी को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि यह किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून है।

3. राकेश दीवान (स्वतंत्र पत्रकार) : मिट्टी की उर्वरता तेजी से खत्म होती जा रही है। मध्यप्रदेश में यह सिर्फ 50 प्रतिशत रह गई है। लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। फिलहाल कृषि पर भारी दबाव है और सरकार चाहती है कि इस दबाव के चलते लोग खेती छोड़कर उद्योगों में आएं। लेकिन यहां यह देखना भी जरूरी है कि उद्योग कितना रोजगार दे रहे हैं। हमें इस पर ध्यान देना होगा।

4. डॉ. एमवी टेडिया (कृषि विभाग से) :

- क्या किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पा रहा है?
- खाद्यान्नों के निर्यात से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है।
- यह भी देखना होगा कि किसानों की 70 फीसदी आबादी वाले इस देश में कृषि की बदहाली के बावजूद उकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कैसे बढ़ रहा है।

5. मेश्राम सिंह (बुंदेलखंड से) : काम–धंधे की तलाश में पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में किसानों का सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। अब ये लोग आवाज कैसे उठाएंगे? सरकार कहती है कि पशुपालन करो, लेकिन जब किसानों के पास अपने ही खाने के लिए अनाज न हो तो वे पशुओं को कैसे खिलाएंगे?

6. राजेंद्र भार्गव (मुल्ताई) :

- गरीबी की रेखा में नाम जोड़ने की बात करने वालों को सिर्फ 20 रु. में गुजारा दिखाना कैसे मुमकिन है?
- स्वसहायता समूह दालों में घालमेल कर रहे हैं।
- पत्तागोभी में रासायनिक कीटनाशकों का इस कदर जहर है कि इसे खाना सल्फास खाने के बराबर है।
- खेतों में कीटनाशक छिड़कने की प्रक्रिया पर भी अंकुश लगाना होगा।

7. अरुण मिश्र (सिवनी) : खाद्य सुरक्षा विधेयक में जोड़ा जाए कि आम आदमी के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी पोषण कितना हो।

8. इंदर सिंह बुंदेला (इंदौर) : बुवाई के बाद यदि किसान की फसल खराब हो गई तो क्या होगा? मंडियों में इसी तरह अनाज और सब्जियों के खराब होने से किसानों को नुकसान होता है।

9. लक्ष्मण सिंह मुनिया (झाबुआ) : सरकार हमें खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दे।

10. पीएन शुक्ला (पूर्व अधिकारी कृषि विभाग) :

- अनाज की सरकारी खरीद और वितरण जिला स्तर पर हो।
- अनाज की जरूरत से ज्यादा खरीद को कानूनी अपराध माना जाए।

11. अनंत जौहरी (जमुआ, अनंतपुर) : विधेयक को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने सांसदों, विधायकों को व्हिप जारी न करें। मतदाता ही इस विधेयक के बारे में फैसला लें।

12. नीरा सोनी (शिवपुरी) :

- पलायन से लौटने वाले परिवारों के बच्चों में सबसे ज्यादा कुपोषण देखा जाता है। इसे कैसे रोकें?
- मातृ मृत्यु दर का अनुपात क्या है। मध्यप्रदेश में इसका प्रतिदिन का आंकड़ा क्या है?

13. श्रीकंटैया (पूर्व अधिकारी, कृषि विभाग) : दूसरी हरित क्रांति बाजरे में ही आएगी। ऐसे में अनाज की सरकारी खरीद में इसे जोड़ना बहुत ही जरूरी है।

14. अरुण तिवारी (सतना) : खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष होना चाहिए।

विषय विशेषज्ञों के जवाब –

1. श्री विराज पटनायक :

- एनएसएसओ के 64वें दौर के आंकड़ों में कहा गया है कि 2007–08 के दौरान देशभर में औसतन 80 लाख नई नौकरियां हर साल पैदा हुई हैं। लेकिन यह वृद्धि दर सिर्फ 0.17 प्रतिशत है।
- 1999–2005 के दौरान यह दर 2.85 प्रतिशत रही।
- इस पूरी अवधि में जो नौकरियां बढ़ीं, उनमें पुरुषों के लिए नौकरी में 84 लाख का इजाफा हुआ, जबकि महिलाओं के लिए 52 लाख नौकरियां घटीं।
- असल में काम–धंधे को बढ़ावा देने और रोजगार के नए मौके पैदा करने में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका रही है।
- लेकिन 1992 के बाद कृषि में निवेश लगातार घट रहा है। यह 1.27 प्रतिशत रह गया है। 2015 तक यही हाल रहा तो आधिकारिक रूप से हम खाद्य पदार्थों के मामले में असुरक्षित देश बन जाएंगे। पिछले तीन साल में दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा बढ़ी है और इसकी प्रमुख वजह है सट्टेबाजी या वायदा कारोबार।

2. सुश्री माधुरी बहन : हमें सड़क पर उतरकर व्यापक संघर्ष करना होगा।

3. श्री जी एस कौशल :

- पैदावार बढ़ाने के साथ ही मिट्टी की उर्वरता को बचाना भी जरूरी है। जमीन की पोषकता को बढ़ाना होगा। इसके लिए जैविक तरीके अपनाने होंगे।
- सरकार सभी तरह के अनाज की खरीद करे।
- शहरों के आसपास फार्म हाउस संस्कृति पर रोक लगे।
- सरकार पहले लोगों की खाद्य सुरक्षा की जरूरत को पूरा करे और उसके बाद ही अनाज का निर्यात करे।
- खाद्यान्नों से शराब बनाने पर पूरी तरह से रोक लगे।
- किसानों को अपने खेत में सालभर में एक या दो फसल लेने की बजाय कई फसलों की बुवाई करनी चाहिए। इससे उनका नुकसान कम होगा।

आगे की रणनीति : भोजनोपरांत सत्र

शेषमणि (सतना से) :

- अगर जल, जंगल और जमीन को सुरक्षित कर लिया जाए तो ग्रामसभा में विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया जा सकता है। हमें अपने जिले के गांवों में एक अभियान चलाना चाहिए।
- जिले या प्रदेश मुख्यालय में जनपद पंचायतों से भी ऐसे प्रस्ताव पारित करा सकते हैं।
- सभी ग्राम पंचायतें अपने यहां प्रस्ताव पारित कर अपने जिले में कुपोषण की स्थिति के बारे में कलेक्टर को ज्ञापन दें।

माधुरी बहन (बड़वानी)

- हमें खाद्य सुरक्षा को लेकर एक पर्चा/ या किताबें प्रकाशित कराना चाहिए।
- ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव पारित कराना एक अच्छा सुझाव है, लेकिन इस बात पर शक है कि क्या यह हो पाएगा।
- हमें आम जनता का विधेयक के खिलाफ दबाव प्रदर्शित करना होगा। इसके लिए जिला मुख्यालय, संभाग या भोपाल में व्यापक जनप्रदर्शन होना चाहिए।
- गांव–गांव तक इस विधेयक को चर्चा का विषय बनाना होगा।
- इस विधेयक के इर्द–गिर्द एक विषय खोजा जाए। इसमें सभी मांगें किसान और मजदूर दोनों की हों।
- विधेयक पर ग्राम सभा में चर्चा हो।
- लोग विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करें। हमारे पास बैनर नहीं है, इसलिए हम सिर्फ प्रतिनिधि के तौर पर सामने आएं।
- सिर्फ केंद्र को ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों को भी निशाना बनाएं।
- यह भी बताना होगा कि राज्य की परंपरागत खेती को बचाने के लिए राज्य सरकारें क्या करें।
- हम अपनी मांगों का जनप्रचार करें।

प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप और विसंगतियों पर जन परामर्श के दौरान विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें निष्कर्ष के रूप में यह तथ्य सामने आया कि इस प्रारूप में समाज के हित में कुछ बदलाव किये जाने चाहिए। जनसंख्या के छोटे से हिस्से पर केन्द्रित करने की बजाय इसके दायरे को व्यापक किया जाना चाहिए। जिसमें भारत की अधिसंख्य जनसंख्या को इसका लाभ मिल सके।

जनपरामर्श के दौरान यह तथ्य भी निकलकर आया कि प्रस्तावित विधेयक में बदलाव के लिए जन–दबाब बनाने विभिन्न रणनीतियों पर कार्य किया जाये।

1. प्रचार–प्रसार।
2. जनचेतना हेतु जागरूकता कार्यक्रम।
3. 14 अप्रेल को ग्राम सभाओं में प्रस्ताव।
4. मुद्दे को अधिक प्रभावकारी बनाने प्रदेश स्तर पर अभियान।
5. 1 मई मजदूर दिवस पर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन।

जनपरामर्श के दौरान राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम की मांग एवं जनसंघर्ष के अनुभवों को बाटते हुए –

सुश्री माधुरी बेन का कहना था कि – खाद्य सुरक्षा, किसान आत्महत्या, मजदूरों आदि अलग–अलग मुद्दों पर अलग–अलग समस्याएं हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए जनदबाब निर्मित करना होगा, जन–दबाव बनाना पड़ेगा। इसके लिए पोस्टर, पर्चे, व अन्य संदर्भ सामग्रियां की आवश्यकता पड़ेगी। जिलेवार प्रचार हो, और लोग इसकी जिम्मेदारी उठावें।

श्री सचिन जैन का सुझाव था कि 14 अप्रेल से ग्रामसभा स्तर पर कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए और सभी स्थानों पर एक साथ यह काम होगा तो ज्यादा असरदार होगा।

उमेश वशिष्ठ जी कहना था कि इसके लिए योजनाबद्ध कार्य करना होगा। अब डगर आसान नहीं है। भोपाल में धारा–144 लगी है किसी सार्वजनिक स्थान पर चार लोग साथ में बैठ नही सकते। हमें संघर्ष का रास्ता चुनना होगा। हम इसक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग–अलग कमेटियां बनाके और व्यवस्थित रूप में कार्य करें।

श्री नीलेश देसाई ने नई कमेटी व जिम्मेदारी लेने की बात पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि– मैं इस जनपरामर्श को पिछली बैठकों को एक कड़ी के रूप में जोड़ कर देखता हूं। यह उसकी अगली कड़ी है। हमें अलग से जिम्मेदारी सौंपनें या कमेटी बनाने की बजाय गत 20 फरवरी को बनाई गई कमेटी को ही फाइनल करना चाहिए, हां यदि हम चाहे तो इसमें कुछ बदलाव या अन्य लोगों के नाम जोडे जा सकते हैं।

जनचर्चा में मुख्य रूप से निम्न बातें सामने आई कि –

1. प्रचार प्रसार पर जनचेतना विकसित करना।
2. मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने व समझ बनाने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम।
3. 14 अप्रेल को एक साथ ग्राम सभाओं में प्रस्ताव ।
4. पोस्टर पर्चे व अन्य प्रचार सामग्री द्वारा 14 अप्रेल से व्यापक प्रचार–प्रसार।
5. संभाग व राज्य स्तर पर दो चरणों में कार्यक्रम की बजाय वृहद रूप में प्रदेश स्तर पर एक बार हो।
6. दो चरणों में आन्दोलन कमजोर होगा।
7. 1 मई को राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन तय।
8. 1 मई को फोकस कर पूरी ताकत से आन्दोलन करेंगे।